कौटिल्य (चौथी से तीसरी शती ईसा पूर्व)
एम. ए. तृतीय सेमेस्टर (राजनीति विज्ञान)
प्रश्न पत्र - दशम — डॉ. सुधाकर सिंह

कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य नामों से भी जाना जाता है ये मौर्य वंश के शासक चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन विश्व की महानतम कृतियों में से एक है। अर्थशास्त्र राजशास्त्र पर लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसका मुख्य उद्देश्य एक बुद्धिमान राजा को शासन करने की कला से अवगत कराना है। वर्तमान में उपलब्ध अर्थशास्त्र को बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में मैसूर राज्य की ओरियंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉ. आर. शामाशास्त्री ने तिरुवनन्तपुरम के निकट तंजौर जिले के एक ब्राह्मण के पास हस्तलिखित संस्करण के रूप में प्राप्त किया था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र को राजनीतिक यथार्थवाद पर एक व्यावहारिक ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ राजनीतिक जगत की कार्यशैली का विश्लेषण करता है तथा राजा (शासक) को इसकी जानकारी देता है कि उसे राज्य के संरक्षण तथा जनकल्याण के लिए योजनाओं तथा कठोर उपायों को कार्यान्वित करना होगा। पाश्चात्य दार्शनिक थामस हाब्स के समान कौटिल्य का भी मानना था कि राजनीतिक यथार्थवाद का अर्थ शक्ति की प्राप्ति है। कौटिल्य का कथन था 'शक्ति (का होना) बल है तथा बल मस्तिष्क को बदल देता है।' इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने शक्ति की इच्छा केवल जनता के बाहरी व्यवहार पर नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि जनता और शत्रु दोनों के विचारों पर भी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की थी। कौटिल्य की लेखन पद्धति आदेशात्मक है। उन्होंने मुख्यतः अपने समय में विद्यमान तथ्यों के सामान्यीकरण तथा उनके परिवर्धन द्वारा अपने आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र में पन्द्रह अधिकरण हैं जो गद्य तथा पद्य में रचित हैं।

① राज्य – अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति की चर्चा की है। उन्होंने इस विषय में विमर्श दो गुप्तचरों के मध्य आपसी संवाद के माध्यम से किया है। कौटिल्य के अनुसार आदिकाल में कोई राजा नहीं था अर्थात मत्स्य न्याय की सी स्थिति थी। इस अवस्था में शक्ति ही अधिकार है का सिद्धांत लागू था। एक अराजक अवस्था थी। इस अवस्था से निकलने के लिए लोगों ने वैवस्वत मनु को अपना राजा चुना और राजा द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी कार्यों के बदले में अपनी उपज का छठा भाग तथा व्यापार में हुए लाभ तथा स्वर्ण का दसवाँ भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया। यह एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध या समझौता था। कौटिल्य के अनुसार यह अनुबंध जनता तथा राजा के मध्य हुआ था अतः दोनों में से जो इसका उल्लंघन करेगा वह अनुबंध तोड़ने का दोषी होगा। राजा जनता का सेवक है जिसका भरण पोषण जनता द्वारा दिये गये खर्च से होता है

① सप्तांग राज्य – कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अधिकरण 6 अध्याय एक तथा अधिकरण 8 अध्याय दो में राज्य के सात अंगों की चर्चा की है – स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। कौटिल्य ने राज्य को प्रत्यंगभूत कहा है अर्थात वे राज्य के आंगिक सिद्धांत मे विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि राज्य उसी दशा में अच्छा कार्य कर सकता है जब उसके सातों अंग उचित तालमेल के साथ कार्य करें।

① स्वामी – स्वामी या राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तथा अन्य अंगों का सुचारु रूप से कार्य करना राजा की योग्यता पर निर्भर करता है। वह राज्य के सभी पदाधिकारियों को चयनित करता है। प्रशासनिक निकायों के प्रमुखों को निर्देश देता है। राज्य के मानवीय तथा भौतिक तत्वों की समस्याओं तथा विपदाओं को दूर करता है। वह योग्य पात्रों को सम्मानित तथा दुष्ट, पापियों को दंड देता है। राज्य प्रशासन का सर्वेसर्वा राजा होता है।

कौटिल्य के अनुसार राजा को उच्च कुल में उत्पन्न, कृतज्ञ, दृढ़निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, विवेकशील, ऊर्जावान, उत्साही, तथा युद्धकला में निपुण होना चाहिए। उसे क्रोध, मोह तथा लोभ से दूर रहना चाहिए। उसमें विपत्ति के समय प्रजा को विद्रोह से दूर रखने तथा शत्रु की दुर्बलता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कौटिल्य का मत है कि मनुष्य में कुछ गुण प्राकृतिक (जन्मजात) रूप से विकसित होते हैं और कुछ गुण अभ्यास के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो की तरह कौटिल्य ने भी राजा की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार मुंडन संस्कार के बाद राजकुमार को लेखन तथा अंकगणित की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उपनयन संस्कार के बाद उसे त्रयी अर्थात

Scanned with CamScanner

तीनों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तथा आन्वीक्षिकी अर्थात् दर्शनशास्त्र की शिक्षा ज्ञानियों से प्राप्त करनी चाहिए। वार्ता अर्थात् अर्थशास्त्र की शिक्षा विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों से तथा दंडनीति (राजनीति) का ज्ञान इस विषय के सिद्धांतों तथा व्यवहारों में प्रवीण व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए। बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ राजकुमार को विनय (अनुशासन) भी सीखना चाहिए। विनय की शिक्षा पूर्ण तब होगी जब वह अपनी कर्मेन्द्रियों को अपने वश में कर लेगा। कौटिल्य का मानना है कि जिस राजवंश में राजकुमारों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है वे राजवंश बिना किसी युद्ध के ही समाप्त हो जाते हैं।

(2) अमात्य — कौटिल्य के अनुसार शासन कार्य केवल राज पदाधिकारियों के सहयोग से ही संभव है। अतः राजा को अपने अमात्यों (मंत्रिगण एवं अन्य पदाधिकारियों) को नियुक्त करना चाहिए तथा उनके दिये गये परामर्श को मानना चाहिए। राजा के अनेक कार्य हैं जिनका संपादन राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक साथ होना आवश्यक होता है। अतः इससे पहले की समय तथा दूरी के कारण विलम्ब हो जाये राजा को उन कार्यों को अमात्यों के माध्यम से सम्पन्न कराना आवश्यक हो जाता है। अमात्य का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्यों का समय तथा दूरी के आधार पर वृहत वितरण के कारण एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण शासन कार्य का भार सम्भालना असंभव है। राज्य का कल्याण तथा आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से उसकी सुरक्षा, आपदाओं से बचाव, निर्जन, बंजर भूमि का विकास तथा उपयोग, कर एवं आर्थिक दंड की वसूली द्वारा राजकोष में वृद्धि का कार्य आदि अमात्यों द्वारा संपन्न होता है। कौटिल्य किसी व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं क्षमता के परीक्षण के लिए उसके कार्य संपादन की योग्यता को ही सबसे बड़ा मानदंड मानते हुए कार्य की प्रकृति समय तथा स्थान को ध्यान में रखते हुए अमात्यों के चयन की बात करते हैं। अमात्यों में सद्गुण, धन, इच्छाशक्ति के साथ-साथ अपने पद की महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। उनकी इस योग्यता की पहचान हेतु कौटिल्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निरीक्षण विधि की अनुशंसा करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को तीन या चार अमात्यों से परामर्श करना चाहिए। यदि वह एक मंत्री से परामर्श करता है तब वह मंत्री अकेला होने के कारण राजा से अपनी बात मनवा सकता है। यदि वह तीन या चार अमात्यों से सलाह करता है तब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है तथा सम्पूर्ण प्रकरण की गोपनीयता को भी बनाये रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

③ जनपद — राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद है। कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ दुर्ग द्वारा सुरक्षित नगरों के अतिरिक्त मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र तथा साथ-साथ वहाँ की जनसंख्या से है। जनपद के लिये कौटिल्य ने एक सर्वव्यापी सूची प्रस्तुत की है— ⊙ दुर्ग के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि ⊙ मूल जनसंख्या तथा विदेशों से आने वाले लोगों के भरण पोषण हेतु पर्याप्त संसाधन ⊙ नागरिकों के जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध ⊙ संकट के समय बचाव के सहज साधन उपलब्ध ⊙ निवासियों में शत्रु के लिये घृणा भाव ⊙ कीचड़ युक्त, पथरीली, बंजर तथा असमतल भूमि नहीं हो ⊙ खेती योग्य भूमि खनिज भंडार तथा वन सम्पदा ⊙ पशुधन की बहुलता ⊙ अपना जलमार्ग तथा भू मार्ग ⊙ विद्रोह भावना से युक्त लोगों का कोई संघ न हो ⊙ आकार महत्वपूर्ण तथा विस्तृत ⊙ निवासी राजा को कर तथा आर्थिक दंड देने में सक्षम ⊙ कृषक ऊर्जा तथा साहसी ⊙ शूद्र वर्ग के लोगों की पर्याप्त संख्या ⊙ कम से कम सौ घर तथा अधिक से अधिक पाँच सौ घरों वाले गाँव ⊙ गाँव एक से दो कोस की दूरी पर बसे होने चाहिए।

④ दुर्ग — कौटिल्य के अनुसार राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था में, सेना को सुरक्षित छावनी प्रदान करने में, शत्रु के साथ करने वाले युद्ध संचालन में, राज्य के अंदर स्थित विश्वासघातियों पर नियंत्रण करने में, मित्र द्वारा दिये गये सहयोग को ग्रहण करने में तथा शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने में दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस राजा का दुर्ग सुरक्षित नहीं होता उसका कोष भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। कौटिल्य ने दुर्ग के चार प्रकार बताये हैं— ① औदक दुर्ग— चारों ओर से पानी से घिरा हुआ ② पर्वत दुर्ग— पर्वत श्रृंखला तथा पत्थरों और चट्टानों से घिरा हुआ ③ धान्वन दुर्ग— मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित ④ वन दुर्ग— घने जंगलों के मध्य स्थित

⑤ कोष — राज्य की सुरक्षा तथा शासन संबंधी एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के सफल संपादन हेतु पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है। राज्य के अस्तित्व के लिए कोष का महत्व अत्यधिक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को कोष में वृद्धि के लिए हमेशा प्रयास रत रहना चाहिए। उसके कोष में उपलब्ध धन का छठा भाग स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान पत्थर होना चाहिए। कोष में वृद्धि करते समय राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह किसी प्रकार के अधर्म अथवा बल प्रयोग द्वारा प्रजा से कर प्राप्त नहीं करे। राजा जनता से कर प्राप्ति का कार्य उस माली के समान करे जो वृक्षों से फल तोड़ते समय इस बात का ख्याल रखता है कि वह केवल पके फलों को ही तोड़े न कि कच्चे फलों को।

Scanned with CamScanner

(6) दंड – राज्य की सात प्रकृतियों में दंड अर्थात सेना का स्थान महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के अधिकरण दो अध्याय तैंतीस में कौटिल्य ने सेना के छः प्रकार बताये हैं – (1) मूल सेना (2) भृत्य बल (3) श्रेणी बल (4) मित्र बल (5) शत्रु बल (6) अटवी बल। सैन्य संग्रह के विषय में उन्होंने अर्थशास्त्र के नौवें अधिकरण के दूसरे अध्याय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। कौटिल्य ने शस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को सर्वश्रेष्ठ माना है। वीर योद्धाओं से युक्त वैश्य या शूद्रों की सेना को भी उन्होंने उत्तम श्रेणी में रखा है। उनके अनुसार सेना चतुरंगिनी है – हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल। शत्रु सेना के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर विजिगीषु राजा का कर्तव्य है वह उससे अधिक शक्तिशाली सेना का गठन कर अपने विजय अभियान की ओर अग्रसर हो। राजा द्वारा दमनकारी शक्ति अर्थात दंड का बुद्धिपूर्वक प्रयोग उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है तथा लोगों में सद्गुण का विकास करता है।

(7) मित्र – कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति एवं विकास के लिए तथा संकट के समय राज्य की सहायता के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने तीन प्रकार के मित्रों की चर्चा की है (1) प्राकृतिक मित्र – शत्रु राज्य का पड़ोसी राज्य (2) सहज मित्र – माता या पिता की ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र (3) कृत्रिम मित्र – धन अथवा जीवन रक्षा के लिये राजा की शरण में आने वाले कृत्रिम मित्र

• <u>न्याय व्यवस्था</u> – अर्थशास्त्र में नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति अतिक्रमण, मानहानि, हिंसात्मक प्रहार, स्वतंत्रता, शासन प्रणाली में लगे अधिकारियों से रक्षा हेतु व्यापक कानूनी प्रावधानों की चर्चा की गयी है। कौटिल्य ने विधि के चार अंगों की चर्चा की है – (1) धर्म – पवित्र विधि (2) व्यवहार – समसामयिक विधि (3) चरित्र – इतिहास तथा परम्पराओं पर आधारित विधि (4) न्याय – राजा के आदेश द्वारा निर्मित विधि। कौटिल्य ने राजा को विधि के स्रोत ही नहीं बल्कि उसकी घोषणाओं (आदेशों) को धार्मिक विधि से ऊपर स्थान दिया। उनके अनुसार वह राजा जो धर्म, व्यवहार, संस्था तथा तर्क के आधार पर न्याय करता है तब वह संसार में सफल होगा। जब कभी संस्था तथा धार्मिक विधि या व्यवहार में परस्पर विरोध हो तब धार्मिक विधि के आधार पर प्रकरण का निवारण होना चाहिए। परंतु यदि धार्मिक विधि तथा न्याय में विवाद हो तब न्याय का स्थान ऊपर होगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य का एक मुख्य कार्य योगक्षेम या जनकल्याण था। यह तभी संभव था जब लोगों का जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित हो। समाज में शांति को हमेशा चोर डाकुओं तथा हत्यारों का भय बना रहता है। इनके अतिरिक्त समाज विरोधी तत्वों – भ्रष्ट पदाधिकारियों कपटपूर्ण व्यापारियों एवं कारीगरों द्वारा भी लोककल्याण

Scanned with CamScanner

पर संकट रहता है। कौटिल्य ने अपराधियों तथा समाजविरोधी तत्वों को राजा रूपी शरीर में कंटक कहकर संबोधित किया है। इन कांटों को निकालने अर्थात समाज विरोधी तत्वों के दमन की चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के चतुर्थ अधिकरण में विस्तार से की है। जनपद में अपराध रोकने तथा विधि व्यवस्था स्थापित करने का कार्य समाहर्ता नामक पदाधिकारी का था। नगर क्षेत्र में नागरिक नामक पदाधिकारी अपराध का पता लगाने तथा अपराधियों को दंड देने के लिए उत्तरदायी था।

कौटिल्य राजद्रोह को अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। राजद्रोह से संबंधित मामलों से राजा स्वयं निबटता था। गुप्तचरों तथा अन्य दूतों के माध्यम से जनता के मध्य राजद्रोह की भावना का पता लगाया जाता था। यह संभव है कि जन प्रधान तथा राजा के उच्च पदाधिकारी जो प्रशासन चलाने का कार्य तथा राजा की सुरक्षा आदि से जुड़े होते हैं राजद्रोह की भावना से ग्रसित हो ऐसी स्थिति में कौटिल्य चार उपायों- साम, दाम, दंड, भेद के प्रयोग द्वारा इन तत्वों को अपने में वापस मिलाने या इनसे मुक्ति पाने की सलाह देते हैं। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित दंड संबंधी सिद्धांत इस प्रकार हैं-

① विभिन्न प्रकार के दंड सिद्धांत - शारीरिक दंड, आर्थिक दंड तथा कारावास दंड ② अपराध के अनुपात में दंड सिद्धांत - अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता के अनुसार कठोर तथा हल्के दंड ③ वर्ण के आधार पर दंड सिद्धांत - एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा कम दंड, ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड, ताड़न दंड वर्जित ④ अपराधी के सामर्थ्य के आधार पर दंड का सिद्धांत - एक ही अपराध के लिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री को आधा दंड, अपराधी की आर्थिक स्थिति के आधार पर दंड ⑤ विशेष परिस्थिति के आधार पर दंड सिद्धांत - प्रमाद, मद, मोह आदि के प्रभाव में आकर दूसरे व्यक्ति के लिये कुत्सित शब्दों का प्रयोग करने वाले को आधा दंड ⑥ लोगों में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से दंड सिद्धांत - कुछ गंभीर अपराधों के लिए बर्बर, कठोर दंड जैसे- सिर एवं शरीर पर जलती आग रखकर मृत्यु दंड देना, जीभ में छेद करना, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, नाखूनों से सुई चुभोना आदि ऐसे दंड सार्वजनिक स्थानों पर दिये जाने चाहिए। ⑦ लज्जित कर दंड देने का सिद्धांत - विद्वान ब्राह्मण अपराधियों के लिए ऐसा दंड ⑧ अपराधियों के आचरण सुधारने का सिद्धांत - कारागार का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। वहाँ बंदी अपराधियों में जिनका आचरण अच्छा पाया जाये उनके दंड कम करने की अनुशंसा की जानी चाहिए।

⓪ न्यायालय एवं न्यायाधीश - कौटिल्य ने न्याय प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए कई प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की है- संग्रहण - दस ग्रामों के मध्य स्थित, द्रोणमुख - चार सौ ग्रामों के मध्य स्थित तथा आठ सौ

ग्रामों के मध्य स्थित नगरों में तथा जनपद की सीमा संधियों पर न्यायालयों को स्थापित किया जाना चाहिए। ग्रामों के लिए पंचायत न्याय प्रणाली का सुझाव दिया है जिसमें ग्राम के वरिष्ठ निवासी और सामंत मिलकर ग्रामीणों के छोटे-छोटे आपसी विवादों का निर्णय कर सकते हैं। प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा, जो विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में गठित हों, प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय किया जाना चाहिए। समस्त न्यायिक संरचना का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा है। राजा ही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

कौटिल्य अधिकार-क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के न्यायालयों की चर्चा करते हैं— ① धर्मस्थीय ② कंटकशोधन
धर्मस्थीय का अभिप्राय नागरिकों के आपसी व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इसे कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है जिसमें संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, धरोहर, मजदूरी, साझेदारी आदि तथा मारपीट बलात्कार, डाका, जुआ आदि के विवाद। कंटकशोधन वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राज्य या राजा से कंटकों या शत्रुओं को दूर करना। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मुख्यतः ये विवाद आते हैं— प्रजा के प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, जुलाहे, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट-नर्तक आदि द्वारा किये गये प्रजा के शोषण तथा धन हरण से संबंधित विवाद, दुर्जनों द्वारा किये गये प्रजापीड़न, राज्य के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले प्रजा पीड़न कार्य आदि।

कौटिल्य एक न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानते क्योंकि उनके द्वारा मनमानी की जा सकती है। उनके विचार में उच्चतर न्यायालयों में तीन धर्मस्थ (न्यायाधीश) तथा तीन अमात्य होने चाहिए जो साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय दें। न्यायिक प्रक्रिया में उनके द्वारा वादी, प्रतिवादी के बयान, साक्षी (गवाह) तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाना चाहिए। वादी, प्रतिवादी के बयान लिखित होने चाहिए। लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए उसके अभाव में साक्षी को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए तथा तथ्यों की जानकारी के लिए न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का भी उपयोग करना चाहिए। न्यायाधीशों द्वारा अधिक से अधिक निष्पक्षता अपनायी जानी चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के आचरण की निगरानी रखने पर भी बल दिया है। यह कार्य गुप्तचर विभाग कर सकता है। जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे उसे दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य की न्यायव्यवस्था का उद्देश्य प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना और उनको खतरा उत्पन्न करने वालों को दंडित करना है।

Scanned with CamScanner

(1) प्रशासनिक व्यवस्था — कौटिल्य ने राजा तथा मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यावहारिक संचालन के संबंध में अपने विचार एवं स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, वाणिज्य व्यापार, कृषि वन शिल्पकला और सेना आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राजा के प्रमुख मंत्रियों अथवा विभाग के अध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य अष्टादश (अठारह) तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ हैं — मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कर्मान्तिक, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष(?), विभागाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल आदि।

कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य योग्य अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए तथा राजा द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों तथा आचरण एवं चरित्र पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारियों में आपसी अधिक संगठन और न ही संघर्ष हो। इनमें सामान्य संबंध होने चाहिए। यदि इनमें संगठन हो जाता है तो वे राजा के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास कर सकते हैं और यदि इनमें आपसी संघर्ष रहता है तो वे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन असंभव कर देंगे। इनके कार्यों तथा आचरण का निरंतर परीक्षण करने के लिए कौटिल्य ने व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का विधान किया है।

(1) गुप्तचर व्यवस्था — कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इनको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है —

- कापटिक — कपट वेशधारी
- उदास्थित — मठ में सन्यासी के रूप में
- गृहपतिक — निर्धन किसान के रूप में
- तापस — नगर के बाहर तपस्वी के रूप में
- वैदेहक — निर्धन व्यापारी के रूप में
- सत्री — घुमक्कड़, ज्योतिष, हस्त रेखा, वशीकरण के जानकार
- तीक्ष्ण — साहसी वीर, शत्रु को निर्मूल नष्ट करने वाले
- रसद — नृशंस, राजा के शत्रुओं की नृशंस हत्या करने वाले
- भिक्षुकी — स्त्री भिक्षुणी के रूप में

राजा को किसी एक गुप्तचर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुप्तचर की निगरानी के लिए अन्य गुप्तचर होने चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए तथा प्राप्त सूचना को विभाग का अध्यक्ष राजा को देता रहे। गुप्तचर व्यवस्था के कार्य संचालन में विशेष गोपनीयता होनी चाहिए। इसके लिए सांकेतिक लिपि तथा भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। झूठी तथा गलत सूचना देने वाले गुप्तचर के लिए दंड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

① अंतर राज्य संबंध

• मंडल सिद्धांत — कौटिल्य ने अपनी विदेश नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन बारह राज्यों के समूह के मध्य अंतर संबंधों के आधार पर किया है। जो राज्य विजिगीषु (विजय की इच्छा रखने वाले) राज्य के चारों ओर इस व्यवस्था में रहते हैं जिससे वे विजिगीषु के भविष्य को सीधे तौर से प्रभावित कर सकते हैं। मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना है। इसके अनुसार राज्यों के आपसी संबंध उनकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अधिकरण चार के दूसरे अध्याय में किया गया है। कौटिल्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से भारतीय राजनय (कूटनीति) में यथार्थवाद तत्वों को निश्चित करने का प्रयास किया है। कौटिल्य के अनुसार राजमंडल का निर्माण बारह राज्यों से होता है। इसका मुख्य कर्ता विजिगीषु राजा है। विजिगीषु के आगे भाग में पांच राजा होते हैं जो विकल्प रूप में उसके शत्रु तथा मित्र होते हैं। परंतु संबंधों की तीव्रता विजिगीषु के राज्य से इन राज्यों की दूरी के आधार पर तय होती है। मंडल सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि सीमा से सटे राज्य आपस में शत्रु होते हैं।

राजमंडल

अरि मित्र मित्र	उदासीन
मित्र मित्र	
अरि मित्र	
मित्र	
अरि	मध्यम
विजिगीषु	
पार्ष्णिग्राह	
आक्रंद	
पार्ष्णिग्राहासार	
आक्रंदासार	

• षाड्गुण्य नीति — पड़ोसी राज्य, विशेष रूप से अन्य राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने षाड्गुण्य अर्थात छः लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया। ये लक्षण अर्थशास्त्र, अधिकरण सात में निम्नलिखित हैं—

① संधि — अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा शत्रु को कमजोर बनाने के लिए संधि करना — चल या अस्थायी स्थावर या स्थायी संधि। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अनेक प्रकार की संधियों की चर्चा की है।

② विग्रह — राजनय या कूटनीति, दूसरे राज्य पर श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास

③ आसन — सशस्त्र तटस्थता, युद्ध की घोषणा के बाद शत्रु के प्रति बाहरी शांति तथा निष्क्रिय मुद्रा अपनाना

Scanned with CamScanner

(4) यान – वास्तविक आक्रमण, अपेक्षित शक्ति प्राप्त कर लेने तथा राजा के मित्र राज्यों के शक्तिशाली होने पर विजिगीषु द्वारा सेना का प्रस्थान करना
(5) संश्रय – समर्पन, मित्रों का समर्थन प्राप्त करना
(6) द्वैधीभाव – दोहरी नीति का अनुसरण, एक के साथ संधि तथा दूसरे के साथ विग्रह

कौटिल्य के अनुसार राजा को संधि की नीति का अनुसरण तब करना चाहिए जब वह शत्रु की अपेक्षा कम शक्तिशाली हो यदि शत्रु से अधिक शक्तिशाली है तो विग्रह की नीति का पालन करना चाहिए। यदि वह और उसका शत्रु समान शक्ति वाले हों तब आसन की नीति अपनानी चाहिए। यदि राजा शत्रु से शक्तिशाली है तो उसे यान अर्थात शत्रु राजा पर आक्रमण के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यदि वह शक्तिहीन अनुभव करे तब उसे संश्रय या शरण की नीति का पालन करना चाहिए। द्वैधी भाव की नीति तब उपयोगी सिद्ध होती है जब राजा अपने शत्रु से युद्ध करने हेतु दूसरे का सहयोग चाहता है।

विदेश नीति के सफल संचालन हेतु कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड, भेद के चार उपायों का विधान किया है। कौटिल्य ने वैदेशिक संबंधों के संचालन में दूत भेजने तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त कर उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, धर्मप्रचारक, भिक्षुक आदि रूपों में वहाँ रह सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार दूत का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक गुण संपन्न व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, साहसी, निर्भीक होना चाहिए। दूत का प्रमुख कर्तव्य हैं – दूसरे राजा को अपने राजा का संदेश देना, संधियों के पालन की व्यवस्था करना, मित्र संग्रह, शत्रु तथा उसके मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करना, गुप्त रूप से दूसरे राजा की नीतियों की जानकारी करना आदि। कौटिल्य इस परंपरा को मान्यता देते हैं कि किसी भी स्थिति में दूत को प्राणदंड नहीं दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner